

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश

कंमाक/डी.टी.ए/IFMIS/2015/ई-५०५

भोपाल, दिनांक ०३/१०/२०१५

प्रति,

समस्त कोषालय अधिकारी

मध्यप्रदेश।

विषय:-आई.एफ.एम.आई.एस. उपयोगकर्त्ताओं के लिए रिसेट व्यवस्था के संबंध में।

विषयान्तर्गत टी.सी.एस द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि डी.डी.ओ के लॉगिन/पासवर्ड कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसे कार्यशील बनाने हेतु पासवर्ड को रिसेट किया जाएगा, इस फँशनेलटी पर कार्य करने हेतु समस्त कोषालय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। अतः आपको सॉफ्टवेयर में एडमिन में जा के रिसेट पासवर्ड की फँशनेलटी में जाना होगा जहां आपको रिसेट करने की व्यवस्था प्राप्त होगी। यहाँ विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि सॉफ्टवेयर में रिसेट करते समय संबंधित डी.डी.ओ का एम्प्लाई कोड की मौग करेगा। इसका अशय यह है कि जो यूजर आई.डी., डी.डी.ओ को पूर्व में उपलब्ध कराई गई है एम्प्लाई कोड के स्थान दर्ज वही यूजर आई.डी. किया जा कर रिसेट किया जाएगा। कृपया आपने आहरण अधिकारी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2- एम्प्लाई डेटा करेक्शन का कार्य डी.डी.ओ. द्वारा उन्हे कोषालय से प्राप्त लॉगिन/पासवर्ड से ही किया जा सकेगा। करेक्शन पश्चात् हार्डकापी/सॉफ्टकापी कोषालय में वेरीफिकेशन हेतु जमा की जावेगी।

अपर संचालक
कोष एवं लेखा

पृ. कंमाक/डी.टी.ए/IFMIS/2015/ई-५०६

भोपाल, दिनांक ०३/१०/२०१५

प्रतिलिपि:-

- निज सहायक, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संचालनालय कोष एवं लेखा की ओर।
- समस्त संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थी।
- समस्त सभागीय नोडल ऑफिसर की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु सुचनार्थी।

अपर संचालक
कोष एवं लेखा